उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 8/2016/185/30-3-16-49जीई/2010
लखनऊ, दिनॉक 27 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

परिवहन अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-85/3260/30-3-2014-49जीई/2010, दिनॉक 20 नवम्बर, 2014 को अवक्रमित करते हुए वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-6 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवहन सचिव शाखा के कार्मिकों को उनकी 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की सेवा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का निम्नवत गठन किया जाता है :-

(1) विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (अधिष्ठान अनुभाग के प्रभारी, यथास्थिति) - अध्यक्ष
(2) उप सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन - सदस्य
(3) अनु सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन - सदस्य

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 8/2016/185(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- परिवहन (लेखा) अनुभाग।
4- विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- उप सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अनु सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/परिवहन अनुभाग-1/2/4
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in